सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

जुलाई, 2024

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	(i)
1	वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण	1
2	मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय कार्यनीति का विवरण	4

प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 केंद्र सरकार के घाटे और उसके द्वारा ऋण में मध्यावधिक अवधि में वहनीय स्तर तक कमी लाने के लिए विधायी फ्रेमवर्क की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ताकि राजकोषीय प्रबंध और दीर्घावधिक वृहत-आर्थिक सुस्थिरता में अंतरपीढ़ीगत साम्यता सुनिश्चित की जा सके। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004, 5 जुलाई, 2004 से लागू हो गई है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन फ्रेमवर्क में केंद्र सरकार को यह अधिदेश दिया गया कि वे राजकोषीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित रखे। इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि केंद्र सरकार 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60 प्रतिशत तक और केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित रखे।

आज की स्थिति में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय समेकन के लिए एकमात्र प्रचालनात्मक लक्ष्य है। संशोधित अनुमान 2023-24 में सरकार ने अपने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को संशोधित करके 5.8 प्रतिशत कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार राजकोषीय समेकन के मुख्य मार्ग पर चलना जारी रखेगी ताकि वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे के स्तर को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत के कम किया जा सके।

इस प्रलेख में वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के साथ-साथ राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति विवरण दिए गए हैं। इन विवरणों में अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं के आकलन के साथ-साथ कराधान, व्यय, बाजार उधारियों और अन्य देयताओं के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की कार्यनीतियों को दर्शाया गया है। एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्य और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत अनुपालन दायित्वों से विचलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए विचलन का विवरण भी शामिल किया गया है। एफआरबीएम नीति विवरण एतद्द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

1. वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2024-25

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1. निरंतर परिकल्पित घटनाओं जिनके कारण बाजार में अनिश्चितता एवं उतार-चढ़ाव बना रहा, के पश्चात, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023 में स्थिरता आई। हालांकि, अनिश्चितता प्रतिकूल भू-राजनैतिक स्थितियों के कारण उत्पन्न अनिश्चितता बनी रही, आपूर्ति श्रृंखला की कठोरता में सुधार हुआ और मुद्रास्फीति के दबाव के वर्ष 2024 में सामान्य होने की संभावना है। वर्ष 2023 के आरम्भ में शुरू हुए दो जोखिमों – उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति और मंदी के भय में कमी आई। मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दर के वर्ष 2023 में उच्चतम स्तर पर बने रहने के पश्चात वर्ष 2024 में इसमें कमी आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के जुलाई 2024 के वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022 में 3.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2023 में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वर्ष 2024 में इसमें 3.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनन्तिम राष्ट्रीय आय प्राक्कलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत रहा।

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी मांगों में उतार-चढ़ाव होने तथा ग्रामीण मांगों में सुधार होने के कारण निजी खपत व्यय में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। निवेश की स्थिति सुदृढ़ बनी रही जैसा कि सकल नियत पूंजी सृजन से परिलक्षित होता है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में वास्तविक संदर्भ में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4. वैश्विक चुनौतियों के वाबजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के मूल्य में कमी हुई जिससे वाणज्यिक वस्तुओं के कारोबार में होने वाले घाटे में कमी आई है। वाणज्यिक वस्तुओं के कारोबार में होने वाले घाटे में कमी होने तथा निवल सेवा प्राप्तियों में वृद्धि होने के कारण वर्तमान खाते में घाटा निम्न स्तर पर रहा।

5. वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र कृषि मूल्य में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रमिक प्राक्कलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न का उत्पादन 328.8 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

6. वित्तीय वर्ष 2023-24 में विनिर्माण तथा निर्माण क्षेत्र के कार्यकलापों में तेजी आने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इसी अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः वित्तीय, रियस एस्सटेट एवं पेशेवर सेवाओं में वृद्धि के कारण हुई है।

7. वृद्धि की इस गति में उच्च फ्रिक्यूएन्सी संकेतकों जैसे पैसेन्जर गाड़ियों की बिक्री, आवास की बिक्री, घरेलू एयर पैसेन्जर ट्रैफिक, डिजिटल पेमेंट, घरेलू उत्पादन के संकेतक तथा अखाद्य क्रेडिट ऑफटेक का योगदान रहा है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 20.18 लाख करोड़ रुपए का उल्लेखनीय सकल जीएसटी संग्रह हुआ, जीएसटी संग्रह में भारी वृद्धि आर्थिक कार्यकलापों में सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाता है, इस प्रकार इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कई संकेतकों के कार्यनिष्पादन में भारी वृद्धि और स्थिर मुद्रास्फीति संकेतकों से अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता प्राप्त हुई है।

8. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। भारत के मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तर पश्चिम मानसून के सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान लगाया है जिससे खरीफ फसल के उत्पादन में वृद्धि होने तथा जलाशयों के जल स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। बैंकों तथा निगमों के तुलन पत्र के बेहतर होने के साथ-साथ सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, उच्च क्षमता के प्रयोग तथा कारोबार को ईष्टतम बनाने पर निरंतर जोर दिया जाना निवेश संबंधी कार्यकलापों के अनुरूप है। इसके अलावा, वैश्विक भू-राजनैतिक तनाव के धीरे-धीरे कम होने के कारण बाह्य मांगों में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है।

मुद्रास्फीति

9. वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुद्रास्फीति के दवाब में कमी आई है, औसत खुदरा मुद्रास्फीति जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.7 प्रतिशत थी, की तुलना में इस वर्ष यह कम होकर 5.4 प्रतिशत हो गई। जून, 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रखी और कोर मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत के अत्यन्त कम स्तर पर रही। समग्र खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा अधिसूचित 2 से 6 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर के बीच रही।

बाह्य क्षेत्र

10. मुख्य रूप से पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कमी होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात कम होकर 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 716 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कम होकर 677.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात और निर्यात में कमी आने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक वस्तुओं के कारोबार संबंधी घाटा कम होकर 240.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

11. वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सेवा निर्यात 4.9 प्रतिशत बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जबकि सेवा आयात 2 प्रतिशत कम होकर 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सेवा कारोबार में 162.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल बचत हुई। सेवा कारोबार संबंधी बचत तथा वाणिज्यिक वस्तुओं के कारोबार में कमी के कारण भारत

के चालू खाते के घाटे में सुधार हुआ, यह घाटा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2 प्रतिशत) था वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम होकर 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) हो गया।

12. **विदेशी मुद्रा भंडारः** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। मार्च, 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 646.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो मार्च, 2023 के अंत में उपलब्ध 578.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के आयात कवर जो मार्च, 2023 के अंत में 9.7 माह था, बढ़कर 08 मार्च, 2024 को 10.9 माह हो गया।

13. **विनिमय दरः** अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1.2 प्रतिशत की कमी आई। भारतीय रुपए में पॉन्ड स्टर्लिंग और यूरो की तुलना में क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत की कमी आई जबकि इसी अवधि के दौरान जापानी येन की तुलना में इसमें 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पूंजी बाजार में वृद्धि

14. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तीव्र आर्थिक कार्य निष्पादन और अनुकूल निवेश के माहौल के बीच प्राथमिक बाजार मजबूत बना रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इक्विटी, ऋण और हाइब्रिड पद्धति के माध्यम से निधियां जुटाने में क्रमशः 24.9 प्रतिशत, 12.1 प्रतिशत और 513.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

15. भारत के शेयर बाजार में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण में पाँचवें स्थान पर आ गया है। भारत के जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 77 प्रतिशत था वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेहतर होकर 124 प्रतिशत हो गया।

मौद्रिक और नकदी स्थिति

16. वर्ष के दौरान मौद्रिक और ऋण परिस्थितियां मौद्रिक नीति के स्वरूप के अनुरूप रही, जिससे घरेलू आर्थिक कार्यकलाप को सहायता प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मौद्रिक नीति संबंधी समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपोरेट को 6.5 प्रतिशत को बनाए रखा। इसने ऋण व्यवस्था को वापस लेने पर जोर दिया ताकि विकास के लिए सहायता प्रदान करने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप बनाया जा सके।

17. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही, यह वित्तीय वर्ष 2017-18 ने 11.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से कम होकर मार्च, 2024 के अंत में सकल अग्रिम का 2.8 प्रतिशत हो गया। एससीबी की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार व्यापक आधार वाला रहा है। चूंकि एससीबी में उच्चतर लाभों और नई पूंजी जुटाकर आरक्षित निधि का लाभ उठाकर अपने पूंजीगत आधार को संभाला है, उनका जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएए) मार्च, 2024 में 16.8% हो गया जो विनियामक निम्नतम स्तर से काफी अधिक है।

केंद्र सरकार के वित्तीय साधन

18. केंद्र सरकार की वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता विगत वर्षों में बजटीय राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को प्राप्त करने से रेखांकित होती है। महामारी के बाद के वर्षों में देखे गए वित्तीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग आगे बढ़ते हुए, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा प्रकाशित अनंतिम वास्तविक आंकड़ों (पीए) के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.6% के स्तर तक घट गया है, जबकि राजस्व घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के जीडीपी के 2.6% तक कम हो गया है।

19. विगत वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में निरंतर उछाल दिखा है जो कर संग्रहण में व्यापक संवृद्धि द्वारा प्रेरित है। वर्ष 2023-24 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों (पीए) के अनुसार, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व और निवल कर में क्रमशः 13.4 और 10.9 की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (पीए) में केंद्र सरकार के कुल व्यय में 5.9% की वृद्धि हुई है। जबकि केंद्र सरकार ने विगत वर्षों में संवृद्धि को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता प्रदान की है, राजकोषीय नीति ने भी सुदृढ़ समष्टि अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को सुनिश्चित करने के दीर्घकालिक उद्देश्यों को हासिल करने में सहायता की है।

संवृद्धि आउटलुक

20. आईएमएफ, विश्व बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत के संबंध में विकास संवृद्धि में सुधार के पूर्वानुमान देश की समष्टिगत आर्थिक क्षमता और सुदृढ़ विकास की संभावनाओं का निम्न आकलन प्रदान करते हैं। आईएमएफ के डब्ल्यूईओ डाटाबेस के अनुमानों के अनुसार, भारत के वर्ष 2027 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आशा है। (मार्केट एक्सचेंज दर पर अमेरिकी डॉलर में)

21. दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से अच्छे रहने के पूर्वानुमान के साथ कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी स्थिति दिख रही है। सुदृढ़ कारपोरेट और बैंक बैलेंस शीट से आर्थिक परिदृश्य को संभालने की आशा की जाती है, जबकि पूंजीगत परिव्यय पर सरकार के निरंतर बल दिये जाने से निरंतर संवृद्धि की आशा की जाती है। अवसंरचना और लॉजिस्टिक सुधारों पर सरकार के मुख्य बल का लक्ष्य निजी क्षेत्र निवेश को जुटाना है। अतः अल्पकालिक समृद्धि की संभावना बेहतर नजर आती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के लिए 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

22. तथापि, वैश्विक अनिश्चितताओं के जारी रहने की स्थिति भारत की अल्पकालिक संवृद्धि की संभावनाओं के नीचे जाने के खतरे को दर्शाती है। भू-राजनैतिक तनाव की स्थिति के और ज्यादा बिगड़ने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर इसके दुष्प्रभाव के कारण भारत समेत वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

23. जहां तक भारत की मध्यम अवधि विकास संभावना का संबंध है, सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में देश की डिजिटल अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डिजिटल क्रांति आने वाले दशकों में सेवा प्रदान करने के माध्यमों सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को बढ़ावा देने में संलग्न है। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण और उत्पादन से जुड़े सहयोग (प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिब्स) जैसी पहलें विनिर्माण उत्पादन और अवसरों को संभालेंगी। इनके साथ-साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाना, मूल्य स्थिरता की आवश्यकता के अनुसार मौद्रिक नीति के संरेखन और व्यवस्थित संवृद्धि से व्यवसाय, उद्यम और प्रयोक्ता के विश्वास में निरंतर वृद्धि में योगदान देने की आशा है।

वृहत आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण

(आर्थिक निष्पादन का सार)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-मार्च		प्रतिशत बदलाव अप्रैल-मार्च	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
	संपदा क्षेत्र				*(रुपये करोड़ में)*
1	**जीडीपी बाजार मूल्यों पर (₹ हजार करोड़)** @				
(क)	वर्तमान कीमत पर	26949646	29535667	14.2	9.6
(ख)	2011-12 की कीमत पर	16071429	17381722	7.0	8.2
2	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	138.5	146.7	5.2	5.9
3	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	152.5	151.5	9.4	-0.7
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः सम्मिलित (2012=100)	174.7	184.1	6.7	5.4
5	उपलब्ध मुद्रा (एम 3) (₹ हजार करोड़) $	22,343.8	24,831.4	9	11.1
6	**मौजूदा कीमत पर आयात** *				
(क)	करोड़ में	5749801	5592877	25.7	-2.7
(ख)	यूएस डॉलर मिलियन में	715969	675430	16.8	-5.7
7	**मौजूदा कीमत पर निर्यात** *				
(क)	करोड़ में	3621550	3619292	15.1	-0.1
(ख)	यूएस डॉलर मिलियन में	451070	437113	6.9	-3.1
8	व्यापार शेष (यूएस डॉलर मिलियन) *	-264899	-238317	38.7	-10.0
9	**विदेशी मुद्रा आस्तियां** *				
(क)	करोड़ में	4754265	5391256	3.4	13.4
(ख)	यूएस डॉलर मिलियन में	578449	646419	-4.8	11.8
10	चालू खाता शेष (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	-67	-23.2	-	-
	सरकारी वित्तीय साधन (₹ करोड़) ##				
1	राजस्व प्राप्तियां	2383206	2728412	9.8	14.5
2	सकल कर राजस्व	3054192	3464792	12.7	13.4
3	कर राजस्व (केंद्र के प्रति निवल)	2097786	2326524	16.2	10.9
4	कर-भिन्न राजस्व	285421	401888	-21.8	40.8
5	पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें से	1809951	1714130	11.5	-5.3
6	ऋणों की वसूली	26161	27338	5.8	4.5
7	अन्य प्राप्तियां	46035	33122	214.5	-28.1
8	उधारी एवं अन्य देयताएं	1737755	1653670	9.7	-4.8
9	कुल व्यय	4193157	4442542	10.5	5.9
10	राजस्व व्यय	3453132	3494036	7.9	1.2
11	पूंजीगत व्यय	740025	948506	24.8	28.2
12	राजस्व घाटा	1069926	765624	3.8	-28.4
13	राजकोषीय घाटा	1737755	1653670	9.7	-4.8
14	प्राथमिक घाटा	809238	589799	3.9	-27.1

@: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी प्रथम संशोधित अनुमान है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनन्तिम है।

* : सीमा शुल्क आधार पर।

$: 22 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया, और वर्ष-दर-वर्ष बदलाव का प्रतिशत ।

##: 1. वर्ष 2023-24 के लिए अप्रैल-मार्च के आंकड़े महालेखा नियंत्रक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनन्तिम अनुमान हैं।

2. अंतरिम बजट 2024-25 से लिए गए 2022-23 आंकड़ें वास्तविक हैं।

2. मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह-राजकोषीय नीति का कार्यनीति विवरण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था के लचीला रहने की उम्मीद है और इसके जुलाई 2024 में 3.2 प्रतिशत की दर और 2025 में 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा है (जुलाई, 2024 के लिए आईएमएफ वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2 प्रतिशत आंकी गई थी (अनंतिम प्राक्कलन)। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा भू-राजनीतिक टकरावों को देखते हुए कुछ कमी होने के जोखिम सहित आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के 7.2 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान लगाया है।

2. पूवोक्त संदर्भ में, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संघीय बजट का उद्देश्य पूंजीगत व्यय पर नए सिरे से जोर देते हुए, विवकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा आवरण को सुदृढ़ करके संवृद्धि (ग्रोथ) को निरंतर बनाए रखना है। वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान (सं.अ.) और वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (ब.अ.) के संबंध में केंद्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय सूचक, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में नीचे तालिका के सार रूप में दिए गए हैं।

वित्तीय संकेतक-जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बदलते लक्ष्य

	संशोधित अनुमान	**बजट अनुमान**
	2023-24	**2024-25**
1. राजकोषीय घाटा	5.8	4.9
2. राजस्व घाटा	2.8	1.8
3. प्राथमिक घाटा	2.3	1.4
4. कर राजस्व (सकल)	11.6	11.8
5. कर-भिन्न राजस्व	1.3	1.7
6. केन्द्र सरकार ऋण	58.1	56.8

टिप्पणी:

1. ''जीडीपी'' *वर्तमान बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है।*
2. *केंद्र सरकार के ऋण में वर्तमान विनिमय दरों पर आंके गए बाह्य सरकारी ऋण, एनएसएसएफ और ईबीआर देयताओं के अंतर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश सहित लोक लेखा पर कुल बकाया देयताएं आदि सम्मिलित हैं।*
3. *एनएसएसएफ के अंतर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रति देयताएं सं.अ. 2023-24 और ब.अ.2024-25 में क्रमशः जीडीपी के 1.1 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत हैं। इन देयताओं को घटाए जाने पर केंद्र सरकार का ऋण सं.अ. 2023-24 और ब.अ.2024-25 में क्रमशः जीडीपी का 57.1 प्रतिशत और 55.9 प्रतिशत बनता है।*

3. अब उपलब्ध वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनंतिम लेखे के संदर्भ में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रमुख एफआरबीएम संकेतकों का संक्षिप्त सार निम्ननुसार हैः-

	अनंतिम लेखा
	2023-24
1. राजकोषीय घाटा	5.6
2. राजस्व घाटा	2.6
3. प्राथमिक घाटा	2.0
4. कर राजस्व (सकल)	11.7
5. कर भिन्न राजस्व	1.4
6. केंद्र सरकार ऋण	58.2

टिप्पणीः

(i) इस दस्तावेज में अनंतिम आंकड़े लेखा परीक्षित नहीं है और इनमें बदलाव हो सकता है।

(ii) यह अतिरिक्त सूचना है। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में संशोधित अनुमान और बजट अनुमान प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

4. ऊपर बताए कारणों को देखते हुए, एक सक्रिय और कुशल राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति सुप्रवाही राजकोषीय नीति प्रचालनों के लिए पूर्वापेक्षा है। इसलिए, अगले दो वर्षों के लिए प्रवाही लक्ष्यों को प्रदान नहीं किया गया है। इसके बजाय, जैसा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, सरकार वित्तीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर अग्रसर होना जारी रखेगी ताकि वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इस लक्ष्य के अनुसरण में बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 4.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है।

5. एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 4 में उल्लिखित वित्तीय प्रतिवद्धताओं/दायित्वों तथा धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत अनुपालन दायित्वों से विचलन के कारणों का उल्लेख करने वाला विवरण इस विवरण के अंत में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण एवं राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति

6. संशोधित अनुमान 2023-24 में कुल व्यय का अनुमान 44.90 लाख करोड़ लगाया गया था जो बजट अनुमान 2023-24 के 45.03 लाख करोड़ से थोड़ा सा कम था। बजट अनुमान के 35.02 लाख करोड़ की तुलना में संशोधित अनुमान में राजस्व लेखा पर व्यय का अनुमान 35.40 लाख करोड़ लगाया गया था। बजट अनुमान 2023-24 में अनुमानित 10.0 लाख करोड़ की तुलना में पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत व्यय बजट अनुमान में 9.50 लाख करोड़ अनुमानित किया गया था।

7. इसके अलावा, पूंजीगत सृजन के लिए सहायता अनुदान जैसे अंतरण हैं जिन्हें राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित किया गया है। तथापि, ये अपने आर्थिक प्रभावों में मुख्य रूप से राजस्व प्रकृति के हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (जीआईए-कैपिटल) का 3.21 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया था। परिणामतः, संशोधित अनुमान 2023-24 में प्रभावी राजस्व व्यय (अथवा जीआईए कैपिटल प्लस पूंजीगत व्यय) का अनुमान 12.71 लाख करोड़ के लगभग था।

8. संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जो बजट अनुमान के 5.9 प्रतिशत से कम था। बजट अनुमान 2023-24 में 2.9 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान 2023-24 में राजस्व घाटा जीडीपी के 2.8 प्रतिशत अनुमानित था।

9. संशोधित अनुमान 2023-24 में दिनांकित प्रतिभूतियों (जी-सैक) के माध्यम से सकल एवं निवल उधार क्रमशः 15.43 लाख करोड़ और 11.80 लाख करोड़ अनुमानित था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल उधार एवं निवल उधार वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रमशः 5.3 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान में घटकर क्रमशः 5.2 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत हो गया।

10. एफआरबीएम की परिभाषा के आधार पर केंद्र सरकार के ऋण संशोधित अनुमान 2023-24 में जीडीपी के 58.1 प्रतिशत अनुमानित किए गए थे। इसके अंतर्गत एनएसएसएफ के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के कारण देयताएं शामिल होती हैं, जिनके संशोधित अनुमान 2023-24 में जीडीपी के 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। इन देयताओं को घटाकर संशोधित अनुमान 2023-24 में केंद्र सरकार का कुल ऋण जीडीपी का 57.1 प्रतिशत था।

11. एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(1)(ग) वित्तीय वर्ष में वृद्धिशील प्रतिभूतियों को पूरा करने के लिए जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की सीमा विहित करता है। वित्तीय वर्ष 2023 के अंत में केंद्र सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां 3.14 लाख करोड़ अथवा जीडीपी के 1.2 प्रतिशत थी। यह वित्त वर्ष 2004-05 में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के स्तर से इतने नीचे आई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिभूतियों के स्टॉक के लिए कुल जमा रकम 60,594 करोड़ अथवा जीडीपी के 0.2 प्रतिशत थी जो एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। बकाया प्रतिभूतियों संबंधी प्रकटन विवरण प्राप्ति बजट 2024-25 के भाग-ख में संलग्न है।

वित्त वर्ष 2023-24 के अनंतिम लेखे

12. वित्त वर्ष 2023-24 का कुल व्यय (अनंतिम) 44.43 लाख करोड़ रूपए था जबकि संशोधित अनुमान 2023-24 44.90 लाख करोड़ रूपए का था। यह वित्त वर्ष 2022-23 के 41.93 लाख करोड़ रूपए के कुल व्यय से 5.9 प्रतिशत अधिक था। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व व्यय (अनंतिम) 34.94 लाख करोड़ रूपए था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 34.53 लाख करोड़ रूपए था। पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022-23 में 7.40 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9.49 लाख करोड़ रूपए हो गया है, जो 28.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि है।

13. वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां (अनंतिम) 27.28 लाख करोड़ रूपए था जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 23.83 लाख करोड़ रूपए था, जो 14.5 प्रतिशत की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2023-24 में कर राजस्व (केंद्र को निवल प्राप्ति) 23.27 लाख करोड़ रूपए था और गैर-कर राजस्व 4.02 लाख करोड़ रूपए था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह क्रमशः 20.98 लाख करोड़ रूपए और 2.85 लाख करोड़ रूपए था।

14. वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा (अनंतिम) 16.54 लाख करोड़ रूपए था। यह जीडीपी का 5.6 प्रतिशत है जबकि संशोधित अनुमान 2023-24 में यह 5.8 प्रतिशत था। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा (अनंतिम) संशोधित अनुमान स्तर पर जीडीपी के 2.8 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर जीडीपी का 2.6 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत है। इस प्रकार, सरकार ने यहां सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करते हुए, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय समेकन का प्रयास जारी रखा।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय परिदृश्य

15. सरकार का प्रस्ताव जरूरतमंदों के लिए अभिकेंद्रित कल्याण व्यय और सार्वजनिक अवसंरचना में निवेश करते हुए घरेलु अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के साथ-साथ नई उभरती चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सुविचारित और लचीली राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति

को जारी रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 में अभिहित जीडीपी के वित्त वर्ष 2023-24 के अनंतिम अनुमान की तुलना में 10.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

16. बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा के जीडीपी के 4.9 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि यह संशोधित अनुमान 2023-24 में जीडीपी का 5.8 प्रतिशत था और अंतरिम बजट 2024-25 का 5.1 प्रतिशत था। निरपेक्ष दृष्टि से बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा 16.13 लाख करोड़ रूपए होने की उम्मीद है जो संशोधित अनुमान 2023-24 में 17.35 लाख करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 2023-24 के अनंतिम अनुमान के 16.54 लाख करोड़ रूपए के राजकोषीय घाटे से कम है। बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 1.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि यह संशोधित अनुमान 2023-24 और अनंतिम अनुमान 2023-24 में क्रमशः जीडीपी का 2.8 और 2.6 प्रतिशत था।

राजस्व प्राप्तियां (कर एवं कर भिन्न)

17. बजट अनुमान 2024-25 के लिए, सकल कर राजस्व (जीटीआर) संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में 11.7 प्रतिशत और अनंतिम अनुमान 2023-24 की तुलना में 10.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। जीटीआर 38.40 लाख करोड़ रूपए (या जीडीपी का 11.8 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। यह भी अनुमान है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जीटीआर में क्रमशः 57.5 प्रतिशत और 42.5 प्रतिशत का अंशदान देंगे। बजट अनुमान 2024-25 में, राज्यों को कर अंतरण के बाद, कर राजस्व (केंद्र को निवल) 25.83 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

18. संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जिनमें कर राजस्व (केंद्र का निवल) और कर भिन्न राजस्व (एनटीआर) शामिल होते हैं, बजट अनुमान 2024-25 में 31.29 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। एनटीआर के 5.46 लाख करोड़ रूपए होने का अनुमान है जो संशोधित अनुमान 2023-24 के 3.76 लाख करोड़ रूपए की तुलना में 45.2 प्रतिशत अधिक है, जो मुख्यतः बेहतर लाभांश प्राप्तियों के कारण है।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

19. बजट अनुमान 2024-25 में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (एनडीसीआर) 78000 करोड़ होने का अनुमान है जिसमें ऋणों एवं अग्रिमों की रिकवरी के अंतर्गत प्राप्तियां (28000 करोड़ रूपए), अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियां (50000 करोड़ रूपए) शामिल हैं। अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली विद्यमान बाजार स्थितियों पर निर्भर करती है।

व्यय

20. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में, कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रूपए होने का अनुमान है। व्यय में संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में 7.3 प्रतिशत और अनंतिम अनुमान 2023-24 की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। कुल व्यय में, पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रूपए (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। इसमें पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 1,50,000 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता शामिल है। यह बजटीय पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय का लगभग 3.3 गुणा और बजट अनुमान 2024-25 में कुल व्यय का 23.0 प्रतिशत है। राजस्व खाते पर व्यय लगभग 37.09 लाख करोड़ रूपए (जीडीपी का 11.4 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। यह संशोधित अनुमान 2023-24 और अनंतिम अनुमान 2023-24 से क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत अधिक है। राजस्व व्यय के अधीन कुछ महत्वपूर्ण व्यय शीर्षों की संक्षिप्त चर्चा निम्नलिखित परिच्छेदों में की गई है।

(i) ब्याज भुगतान

21. ब्याज भुगतान का अनुमान बाजार में विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए मौजूदा व्याज दर के आधार पर लगाया गया है। बजट अनुमान 2024-25 में ब्याज भुगतान बिल 11.63 लाख करोड़ रूपए रहने के अनुमान है, जो जीडीपी का 3.6 प्रतिशत है तथा संशोधित अनुमान 2023-24 और अनंतिम अनुमान 2023-24 के रूझान समान है।

(ii) मुख्य सब्सिडी

22. मुख्य सब्सिडी में खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम सब्सिडी शामिल है, जिनकी राजस्व व्यय में मुख्य भागीदारी है। मुख्य सब्सिडी जो 3.81 लाख करोड़ रूपए है और यह बजट अनुमान 2024-25 में राजस्व व्यय का लगभग 10.3 प्रतिशत रहेगा। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में मुख्य सब्सिडी, 2023-24 के संशोधित अनुमान के 1.4 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 के बजट अनुमान में 1.2 प्रतिशत रहने की आशा है।

(iii) वित्त आयोग अनुदान

23. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्त आयोग अनुदान प्रदान किया जाता है। बजट अनुमान 2024-25 में, वित्त आयोग अनुदान 1.32 लाख करोड़ रूपए रहने का अनुमान है। 2024-25 के बजट अनुमान में वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत राज्यों की राजस्व कमी संबंधी अनुदान, शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान क्रमशः 0.24 लाख करोड़ रूपए, 0.26 लाख करोड़ रूपए तथा 0.50 लाख करोड़ रूपए रहने का अनुमान है।

(iv) पेंशन

24. पेंशन भुगतान भारत सरकार के चार मुख्य अनुदान मांगों के भाग हैं अर्थात रक्षा (पेंशन), सिविल (पेंशन), दूरसंचार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जहां सिविल (पेंशन) में सभी विभागों को कवर किया जाता है, वहीं तीन अन्य मांगों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मंत्रालयों/विभागों के पेंशन व्यय तथा पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार को कवर किया जाता है। केंद्र सरकार का पेंशन संबंधी व्यय बजट अनुमान 2024-25 में 2.43 लाख करोड़ रूपए रहने का अनुमान है।

(v) राज्यों को कर का अंतरण

25. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अंतरित किए जाने वाले करों में राज्यों की हिस्सेदारी, यह बजट अनुमान 2023-24 में 10.21 लाख करोड़ रूपए रहने का अनुमान था, संशोधित अनुमान में काफी बढ़कर 11.04 लाख करोड़ रूपए हो

गया। अनंतिम अनुमान 2023-24 के अनुसार राज्यों को कर अंतरण 11.29 लाख करोड़ रूपए रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में राज्यों को अंतरित किए जाने वाले कर थी राशि 12.47 लाख करोड़ रूपए रहने का आकलन किया गया है, जो जीडीपी का 3.8 प्रतिशत है।

उधार-सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देनदारियां

26. केंद्रीय सरकार मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करके अपनी राजकोषीय हानि को पूरा करती है। बजट अनुमान 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लगभग 14.01 लाख करोड़ रूपए तथा 11.63 लाख करोड़ रूपए का क्रमशः सकल तथा निबल उधार लिए जाने का अनुमान है। यह वर्ष 2023-24 के 15.43 लाख करोड़ रूपए के सकल उधार और 11.80 लाख करोड़ रूपए के निबल उधार की तुलना में क्रमशः 9.2 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत कम है।

27. राजकोषीय कमी के वित्त पोषण के अन्य स्रोत केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश, निबल बाह्य सहायता तथा लोक लेखा अधिशेष आदि है। बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए एनएसएसफ से 4.20 लाख करोड़ रूपए का उधार लिए जाने का अनुमान है; जबकि बाह्य स्रोतों तथा राज्य भविष्य निधियों से क्रमशः 15,952 करोड़ रूपए तथा 5,000 करोड़ रूपए (निबल आधार पर) उधार लिए जाने का अनुमान है।

28. उपर्युक्त पर विचार करते हुए एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित किए गए अनुसार बजट अनुमान 2024-25 में केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी का 56.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में जीडीपी के 58.1 प्रतिशत और अनंतिम अनुमान 2023-24 में जीडीपी के 58.2 प्रतिशत से कम है। भारत की लोक लेखा पर बकाया देनदारियों का एक हिस्सा राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश के कारण है (जो वास्तव में राज्य सरकार की देनदारियां है) और राज्य द्वारा मैच्योर होने के समय उनका पुनर्भुगतान किया जाएगा। यदि इन निवेशों को हटा दिया जाए तो, केंद्र सरकार का समायोजित ऋण, वर्तमान विनिमय दर पर बाहरी ऋण का मूल्य, वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 57.1 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में जीडीपी का 55.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

निम्नलिखित के संदर्भ में सततता का आकलन

(i) राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

29. बजट अनुमान 2024-25 में, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय क्रमशः 31.29 लाख करोड़ रूपए और 37.09 लाख करोड़ रूपए रहने का अनुमान है। इस प्रकार बजट अनुमान 2024-25 में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 84.4 प्रतिशत है। तथापि, केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का एक प्रमुख हिस्सा राज्यों और अन्य स्वायत्त निकायों को पूंजी सृजन के लिए दी गई अनुदान सहायता है। यदि इस कारण कोई समायोजन किया जाय तो बजट अनुमान 2024-25 में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 94.3 है। यह अनुपात वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 83.9 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है।

(ii) उत्पादक आस्तियों के सृजन हेतु बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग

30. राजकोषीय घाटे की तुलना में पूंजीगत व्यय के अनुपात का उपयोग से पूंजीगत व्यय (या आस्तियों के सृजन) हेतु उधार लिए गए संसाधनों के उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। बजट अनुमान 2024-25 में, यह अनुपात 68.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 54.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-23 में 42.6 प्रतिशत से अधिक है। प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता का योग) के संदर्भ में, बजट अनुमान 2024-25 में यह अनुपात 93.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 73.3 प्रतिशत था, और यह सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार दर्शाता है।

2024-25 के लिए राजकोषीय नीति योजना

31. 2024-25 के लिए राजकोषीय नीति योजना में बढ़े हुए विकास/कल्याण संबंधी व्ययों और पूंजीगत लेखा व्यय पर मुख्य जोर दिया जाना जारी रहेगा।

कर नीति

32. कर नीति का समग्र मध्यावधि जोर प्रशुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने और कर आधार के विस्तार पर है। बजट 2024-25 में, सकल कर राजस्व (जीटीआर) जीडीपी का 11.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

33. अप्रत्यक्ष कर संदर्भ में, माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत प्राप्तियां बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कंपोजीशन करदाताओं को कुछ शर्तों के अधीन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स (ईसीओ) के माध्यम से अंतर्राज्यीय आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है।

(ii) सेवा प्रदाताओं के लिए एक विशेष प्रशमन योजना शुरू की गई है ताकि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रशमन योजना के तहत कवर किए गए सेवा प्रदाताओं के एक वार्षिक विवरणी दायर करनी होगी और सेवा प्रदान करने का काम पूरा करने के बाद जीएसटी का तिमाही भुगतान करना होगा।

(iii) "अकाउंट एग्रेगेटर" को एक ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसके माध्यम से साथ पंजीकृत व्यक्ति/करदाता द्वारा दी गई सहमति के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझा की जा सकती है।

(iv) चुने हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप पर बी2सी बीजक अपलोड करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का प्रावधान है, ताकि ग्राहकों को उनकी खरीद के लिए जीएसटी बीजक मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

(**v**) कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्तियां के कराधान पर स्पष्टता लाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन किए गए हैं।

(**vi**) जोखिम वाले आवेदकों की पहचान करने और जीएसटी तक धोखाधड़ीपूर्ण पहुंच को रोकने के लिए डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है।

(**vii**) किसी पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता से किसी विशेष व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में अधिशेष के अंतरण के लिए प्रावधान किया गया है। इससे एक समान पैन (पीएएन) वाले पंजीकृत व्यक्तियों के बीच धन वापसी के लिए दावा दाखिल करने की आवश्यकता के बिना अप्रयुक्त शेष धनराशि हस्तांतरित करने में सहायता मिलेगी जिससे ऐसे करदाताओं के परिनिर्धारण में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी।

(**viii**) सीजीएसटी अधिनियम 2017 में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण का गठन करने के लिए संशोधन किया गया है।

34. निरंतर अधिक जीएसटी की प्राप्ति जीएसटी प्रणाली के परिपक्व होने को दर्शाता है। बजट अनुमान 2024-25 में जीएसटी प्राप्ति के 10.62 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमानों और अनन्तिम अनुमानों पर 11.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

35. मैक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के अंतर्गत अधिक मूल्यवर्धन करके घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मूल सीमा कर (बीसीडी) दर को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है।

36. सभी गैर-प्रशुल्क उपायों के लिए केंद्रीय रिपोजेट्रीः सभी पीजीए द्वारा जारी एनटीएम को अभिचिह्नित करने के लिए केंद्रीयकृत नियंत्रण संख्या (सीसीएन) जारी करने हेतु वैश्विक रूप से स्वीकारित यूएनसीटीएडी पद्धति के आधार पर सीबीआईसी ने एक प्रक्रिया तैयार की है।

37. इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज (आईसीईजीएटीई) 2.0ः आईसीईजीएटीई 2.0 की वेबसाइट को प्रयोक्ता को बेहतर अनुभव के लिए तत्कालीन यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

38. बजट अनुमान 2024-25 में निगम कर के 10.20 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार बजट अनुमान 2024-25 में आय पर कर 11.87 लाख करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान है जो संशोधित अनुमान 2023-24 से 16.1 प्रतिशत अधिक है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आरम्भ किए गए कुछेक महत्वपूर्ण सुधार उपाय निम्नानुसार हैंः-

(क) टीडीएस/टीसीएस के क्षेत्र का विस्तारः विदेशी बिप्रेषण जैसे नए लेनदेन, लग्जरी कारों की खरीद, ई-कॉमर्स भागीदारों को शामिल करके टीडीएस और टीसीएस के दायरे का विस्तार किया गया है।

(ख) कारोबार पुनर्गठन का उत्तराधिकारः आयकर अधिनियम में एक नया उपबंध पुरःस्थापित किया गया है जिसमें अधिकार प्राप्त करने वाली संस्था को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए जा रहे पुनर्गठन आदेश के छह माह के भीतर संशोधित विवरणी दायर करना अपेक्षित है।

(ग) ई-सत्यापन योजनाः यह योजना कर अपवंचन को कम करने के लिए आयकर का निर्धारण समुचित और व्यापक रूप से करने के लिए प्राधिकरणों को सूचना एकत्र करने में सक्षम बनाती है।

(घ) पैन का उपयोग अब कई सरकारी विभागों और सेवाओं को पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कारोबार पहचान संख्या (बीआईएन) के रूप में किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान 63.29 लाख नए ई-पैन आवंटित किए गए हैं।

(ङ) द्विरावृत्ति को रोकने की सुविधा के लिए पैन और आधार को जोड़ा गया है। 10 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार कुल 61.61 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा गया है। इस वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2024 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर कुल 1.82 करोड़ कर दाताओं ने अपने पैन को आधार के साथ ऑनलाइन लिंक किया है।

(च) एमसीए पोर्टल पर पैन और टैन आवंटन को कॉमन एप्लिकेशन फार्म एसपीआईसीई के साथ समेकित किया गया है।

(छ) सेबी द्वारा एफपीआई को पंजीकरण प्रदान करने और पैन आवंटित और जारी करने के लिए संबद्ध करने का कार्य किया गया है।

(ज) एक समेकित ई-फाइलिंग और केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 (सीपीसी 2.0) परियोजना का शुभारंभ बेहतर ई-फाइलिंग अनुभव, अनुपालन को सहज बनाने, आईटीआर की प्रोसेसिंग समुचित और तीव्रता से करने के उद्देश्य से किया गया है। वर्ष के दौरान निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 8.30 करोड़ आईटीआर फाइल किया गया है जो निर्धारण वर्ष 2022-23 की तद्नुरूपी अवधि के दौरान फाइल किए गए आईटीआर से 9 प्रतिशत अधिक है। सभी आईटीआर को सत्यापित कर लिया गया है।

(झ) कर सूचना नेटवर्क 2.0ः एक नए भुगतान प्रणाली, टीआईएन 2.0 का शुभारंभ करों को रियल टाइम में जमा करने के साथ-साथ करदाताओं के बैंक खाते में तीव्रता से रिफंड करने के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 22.98 लाख करोड़ रुपए की राशि के 8.61 करोड़ चालान की प्रोसेसिंग की गई है।

व्यय नीति

39. भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण साधन के रूप में करना जारी है। सिंगल नोडेल एजेंसी (एसएनए) तथा केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) दिशा-निर्देशों में ठीक समय से धनराशि पहुंचने की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। ई-बिल प्रोसेसिंग प्रणाली में आपूर्तिकर्ता और संविदाकार अपना दावा ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे रियल टाइम आधार पर ट्रैक किया जा सकता है।

40. एसएनए स्पर्श अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रयास है जिसमें राज्य आईएफएमआईएस के समेकित नेटवर्क, आरबीआई के ई-कुबेर के माध्यम से केंद्र तथा राज्य, दोनों की समेकित निधि से निधि का प्रवाह 'जस्ट इन टाइम' के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के प्रायोगिक शुभारंभ को 01.08.2023 से चरणबद्ध पद्धति में अधिसूचित किया गया है। अब तक, 20 राज्यों में 26 केंद्रीयकृत प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है।

41. बहुआयामी कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक अनिवार्य डिजीटल प्लेटफार्म है जिसमें अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं को समेकित आयोजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने और इस प्रकार लागत ईष्टतम करने की परिकल्पना की गई है।

सरकार द्वार ऋण लेना, ऋण देना और निवेश

42. भारत की ऋण प्रबंधन कार्यनीति तीन प्रमुख स्तंभों पर टिकी है, ये हैं:- निम्न लागत पर ऋण लेना, जोखिम को कम करना और बाजार का विकास। बजट अनुमान 2024-25 में भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लिया गया सकल और निबल बाजार ऋण संशोधित अनुमान 2023-24 में 15.43 लाख करोड़ रुपए और 11.81 लाख करोड़ रुपए की तुलना में क्रमशः 14.01 लाख करोड़ रुपए तथा 11.63 लाख करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, बजट अनुमान 2024-25 के लिए राजकोषीय बिलों के माध्यम से लिया गया निवल ऋण (-) 50,000 करोड़ रुपए है। अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 में टी-बिल का निवल पुनर्भुगतान।

43. विदेशी ऋण मुख्यतः बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से हैं जो विशिष्ट विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए और अप्रत्याशित विपरीत परिस्थितियों में पूंजीगत प्रवाह के वापस जाने के जोखिम को कम करने के लिए है। बाह्य उधारी (ऋण) वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 15952 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

44. केंद्र सरकार के ऋण का जोखिम स्वरूप सुरक्षित और विवेकसम्मत रहा है। सरकारी ऋण पोर्टफोलियो में विस्तारणीय (रॉलऑवर) जोखिम निरन्तर निम्न बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) वित्त वर्ष 2022-23 के 16.05 वर्ष के मुकाबले बढ़कर 18.09 वर्ष हो गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत आय (डब्ल्यूएवाई) वित्त वर्ष 2022-23 में 7.32 प्रतिशत से संशोधित होकर वित्त वर्ष 2023-24 में 7.24 प्रतिशत हो गई है।

वित्त वर्ष 2024-25 की कार्यनीतिक प्राथमिकताएं:

45. वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की राजकोषीय कार्यनीति निम्नलिखित व्यापक लक्ष्यों पर आधारित है:

(क) अप्रत्याशित आपात जोखिमों को झेलने के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी, संभारणीय और अधिक लचीली बनाने पर जोर देना।

(ख) अवसंरचनात्मक विकास के वेग को निरन्तर कायम रखने के लिए पूंजीगत खर्च की ओर संसाधनों को आवंटित करना।

(ग) पूंजीगत खर्चों के लिए राज्यों को सहयोग करते हुए सार्वजनिक अवसंरचना का संवर्धन करना।

(घ) पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की एकीकृत और समन्वित आयोजना तथा इसका कार्यान्वयन।

(ङ) नागरिकों के कल्याण के लिए मुख्य विकास क्षेत्रों और सामाजिक सुरक्षा नामतः कृषि और किसान कल्याण, रोजगार सृजन, कौशल, ग्रामीण तथा शहरी आवासन, पेयजल तथा स्वच्छता, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास आदि पर खर्च को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष और नीति मूल्यांकन

46. वैश्विक अनिश्चितताएं जारी रहने के वाबजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः अनुकूलनीय बनी रही है और वैश्विक आघातों से प्रभावित नहीं हुई। सरकार की योजना है कि उभरती चुनौतियों के जबाव में लचीलापन बनाए रखने के लिए कुशल और सुविचारित कार्यनीति को जारी रखा जाए। अतः राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों का प्रस्ताव नहीं किया गया है क्योंकि इससे अनिश्चित माहौल में प्रतिबंधों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार वर्ष 2021-22 में घोषित वित्तीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग से अविचलित रही है। इस नीति को जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

47. बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय नीति का स्वरूप दो-आयामी हैः जिसमें पहला कार्य, विकास के माहौल को सकारात्मक आवेग प्रदान करना और दूसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाधाओं के प्रति और अधिक लचीली बनाना। बढ़े हुए पूंजीगत व्यय की योजना का बहुमुखी प्रभाव पड़ता है और आशा है कि इससे अत्यधिक निवेश आने के जरिए घरेलू विकास सुदृढ़ होगा। रोजगार के नए अवसरों के सृजन, कौशल, उत्पादक क्षमता निर्माण और सामाजिक सुरक्षा में और अधिक निवेश किया जाना इस राजकोषीय नीति के कदम बढ़ाने का एक अभिन्न अंग है।

48. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहते हुए बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से कम रखने का लक्ष्य प्राप्त करने के सरल मार्ग के अनुरूप है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत अनुपालन के दायित्व से विचलन के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण

49. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(क) में केंद्र सरकार को अधिदेशित किया गया है कि वह राजकोषीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत तक सीमित करने के

लिए उपयुक्त उपाय करे। इस क्रम में, धारा 4(1)(ख)(त्त) में अपेक्षा की गई है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगी कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अलावा, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(घ) में यह भी अपेक्षा की गई है कि केंद्र सरकार पूवोक्त राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित तारीखों से आगे न बढ़ने देने का प्रयास करें। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7(3)(ख)(त्) के अनुसार वित्त मंत्री से अपेक्षा की गई है कि वह इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार पर डाले गए दायित्वों को पूरा करने में हुए विचलन को स्पष्ट करते हुए संसद के दोनों सदनों में विवरण दें।

50. राजकोषीय घाटे और ऋण को जीडीपी के लक्षित अनुपात में लाने का प्रयास कोविड-पूर्व काल में भी किया जा रहा था। भू-राजनैतिक तनावों सहित कोविड-19 महामारी के कारण विश्वभर में अभूतपूर्व आर्थिक और राजकोषीय संकट आ गया। भारत भी अत्यन्त विपरीत तरीके से प्रभावित रहा। इस विश्वमारी ने केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे के स्तर को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ा।

51. वित्त वर्ष 2024-25 का बजट ऐसे समय पर प्रस्तुत किया जा रहा है जब वैश्विक अनिश्चितता आगे आ रही नई भू-राजनीतिक चुनौतियों के साथ निरंतर बनी हुई है। जहां विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक होना राष्ट्र को काफी खुशी प्रदान करता है वहीं ईष्टतम होने में सावधानीपूर्वक बदलाव किया जाना है। लगातार वैश्विक अस्थिरता और टकराव के सशक्त नए अवसरों के अभी भी खुले रहने के साथ ही विवेक यह मांग करती है कि सरकार सशक्त अप्रत्याशित चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने में समर्थ बनने के लिए राजकोषीय लचीलापन बनाए रखे। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार लोगों के लिए व्यापक आधार वाली समावेशी आर्थिक विकास लाने और उस पर कायम रहने में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग पर चलती रहेगी।

******